

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- कोतवालीकिशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास- दिनांक- 04.07.2024 को वादी मुकदमा थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ हाल पता थाना कोतवाली आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक- 03.07.2024 को वादी मुकदमा की नातिन जो 12 कक्षा की छात्रा है, घर से कहीं चली गयी है, काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली है, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 396/24 धारा 137 बीएनएस दि. 4.7.24 को पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण - दिनांक- 09.07.2024 को उ0नि0 राजनरायन पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त सलमान शेख पुत्र सोहराब शेख साकिन भुजही थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को अग्रसेन चौराहे से नियमानुसार समय 9.45 बजे गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 396/24 धारा 137/65(1)/351(3)/324(6) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- सलमान शेख पुत्र सोहराब शेख साकिन भुजही थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष गिरफ्तारी करने वाली टीम - उ0नि0 राजनरायन पाण्डेय, हे0कां0 सतीश यादव, कां0 पंकज सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़ थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना सरायमीरकिशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ -

वादी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया कि दिनांक 07/07/24 को रात करीब 11.00 बजे मैं व मेरी पत्नी व मेरी लड़की उम्र लगभग 16 वर्ष घर में सोये हुए थे। रात में जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरी लड़की घर पर नहीं हैं। तो मैं व मेरे घरवाले उसको ढूँढना चालू किया तो भोर में 05.00 बजे तालाब के बीचो बीच रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली। लड़की ने बताया कि सूरज राजभर S/O कन्तू राजभर निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 381/24 धारा 64 भारतीय न्याय संहिता व 3/4 पास्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी फूलपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक- 09.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज राजभर S/O कन्तू राजभर निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को मदरसा बाण्डरी तिराहा के पास से समय करीब 04.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 381/24 धारा 64 भारतीय न्याय संहिता व 3/4 पास्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अभियुक्त सूरज राजभर पुत्र कन्तू राजभर निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष गिरफ्तार करने वाले टीम-

1- प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़

थाना- बरदहअवैध देशी तमन्चा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.07.24 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रोहित पुत्र नीबूलाल निवासी ग्राम चिरैयाडीह थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को मय एक अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर के के साथ सहनूडीह नहर पुलिया रोड के पास से समय करीब 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 229/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रोहित उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- रोहित पुत्र नीबूलाल निवासी ग्राम चिरैयाडीह थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर

बरामदगी का विवरण:- एक अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 229/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

2. हे0का0 मनोज यादव थाना बरदह, आजमगढ़